

संख्या:-1769/एक-10-2022-33(36)/2018 टी० सी०-1

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,

सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर एवं फतेहपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 18/09/2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किए जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किए जाने हेतु बाढ़ मद-02 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 6,16,50,000/- (रुपये छह करोड़ सोलह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि जनपद- प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर एवं फतेहपुर के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रमांक	जनपद का नाम	पत्रांक/दिनांक	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1	प्रयागराज	1791/आपदा-बजट-2022-23/ 12.09.2022	73.00
2	वाराणसी	1745/जि० आ० प्र० प्रा०/बाढ़/2022-23/30.08.2022	150.00
3	गाजीपुर	825/13-आपदा/2022	343.50
4	फतेहपुर	1266/तेरह-विविध/सी० आर० ए०/दैवीय आपदा/2022-23/01.09.2022	50.00
योग			616.50
रुपये छह करोड़ सोलह लाख पचास हजार मात्र			

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राशन प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के पूर्व शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश में सभ्य मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदाय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढकर सुनाया भी जाये।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in/> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

- (9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 6,16,50,000/- (रुपये छह करोड़ सोलह लाख पचास हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/वी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2022.09.18 13:27:10 IST

(रणवीर प्रसाद)

सचिव।

संख्या-1769(1)/एक-10-2022-33(36)/2018 टी० सी०-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ० प्र०, प्रयागराज।
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ० प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ० प्र० ।
- 6-कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जनपद- प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर एवं फतेहपुर, उ० प्र० ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(राम केशव)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-18/09/2022

प्रेषण संख्या:- 1769

आवंटन आदेश संख्या:- 001-1769

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 -

02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

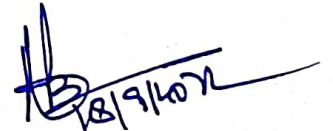
S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
2	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7300000 21700000	7300000 21700000
3	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 26600000	15000000 26600000
4	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	34350000 48475000	34350000 48475000
	योग	वर्तमान प्रगामी	61650000 101775000	61650000 101775000

महायोग- (वर्तमान
आवंटन):-

रूपया छः करोड़ सोलह लाख पचास हजार

महायोग- (प्रगामी
आवंटन):-

रूपया दस करोड़ सत्रह लाख पचहत्तर हजार



(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।